

AV Builders and Developers

604, 6th FLOOR, ESTATE PLAZA, KANTA TOLI, KOKAR ROAD
Ranchi – 834001, PAN No.: ABNFA8524F, GST IN: 20ABNFA8524F1ZO
Email: avbd.ranchi@gmail.com

Ref No.:

Date:

FIRE FIGHTING

Fire-fighting system will be provided in the building and campus as per the advisory letter of state fire officer (Jharkhand State Fire Services, Ranchi).

For, A. V. BUILDERS & DEVELOPERS



Partner

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

प्रेषक,

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

में0 विगौर इस्टेट्स प्रा0 लि0,
403, कॉमर्स हाउस, शारदा बाबू स्ट्रीट,
लाईन टैंक रोड, राँची।

राँची, दिनांक-23वीं जनवरी 2018

विषय :- मौजा-मिसिरगोंदा, प्लॉट नं0-1133. खाता नं0-360 वार्ड नं0-01, पर प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय एवं व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

महाशय,

उपर्युक्त प्रस्तावित भवन के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, आड़े हाउस, राँची से कराई गई। उनके ज्ञापांक-37 दिनांक-19.01.18 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त प्रस्तावित भवन के लिये निम्नांकित अग्नि सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं:-

1. भवन के सामने वाले भाग में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम दो लाख लीटर क्षमता वाले एक अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस-बीस हजार लीटर क्षमता वाले एक-एक ओभरहेड टैंक का निर्माण व्यावसायिक ब्लॉक एवं आवासीय भाग के तीनों सब-ब्लॉकों में कराया जाय।
3. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ आवासीय भाग के तीनों सब-ब्लॉकों के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में तथा ब्लॉक "ए" के दोनों स्टेयरकेश लॉबी में ऐसे वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसके प्रत्येक तलों पर 63 mm डिलिवरी आउटलेट एवं कम से कम 30 मीटर लम्बा होजरील होज का संस्थापन कराया जाय।
4. डिलिवरी आउटलेट के पास दीवार में एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
5. लोअर बेसमेंट, आवासीय भाग के तीनों सब-ब्लॉकों के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में तथा ब्लॉक "ए" के सभी तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय।
6. सतही तल पर प्रस्तावित जिम एवं पार्टी हॉल वाले भाग को स्मोक डिटेक्टर विथ कंट्रोल पैनल का संस्थापन कराया जाय। पार्टी हॉल में एक अतिरिक्त निकास द्वार की व्यवस्था की जाय।
7. अग्निशमन कार्य हेतु पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2280 ली0/मि0 क्षमता का दो अदद इलेक्ट्रिक पम्प तथा समान क्षमता का एक डीजल पम्प रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
8. 180 ली0/मि0 क्षमतावाले दो अदद जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
9. पंपिंग सिस्टम को स्वचालित व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
10. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल को Fire Suppression System से सुरक्षित किया जाय।
11. भवन में प्रति 400 वर्ग फीट अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।

12. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों के भवन के चारों तरफ रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय, जिसमें मानक के अनुरूप हाईड्रैण्ट का निर्माण कराया जाय।
13. प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास दीवार में एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
14. आवासीय भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 12 मीटर चौड़ी, ठोस, समतल एवं खुला स्थान रखा जायेगा ताकि किसी भी आतकालीन स्थिति में हाईड्रोलिक प्लेटफार्म से अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
15. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों के फायर स्केप रूट वाली तीनों सीढियों को Enclose Staircase के रूप में निर्मित किये जाँय।
16. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाँय।
17. प्रस्तावित भवन में मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि इसकी आवाज भवन में रहनेवाले सभी व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
18. प्रस्तावित ब्लॉकों के सभी मुख्य स्टेयरकेश लॉबियों में 50-50 लीटर क्षमता के दो-दो अदद वाटर मिस्ट अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
19. प्रस्तावित भवन में तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।
20. प्रस्तावित भवन के किसी भी बालकोनी को ग्रील लगाकर पूर्णतः अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
21. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे। साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
22. अग्नि-सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने एवं संतोषप्रद पाये जाने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
23. भवन निर्माण के किसी भी भाग में बाद में Plan या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
24. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

विश्वासभाजन,

RAM KRISHNA THAKUR

Digitally signed by RAM KRISHNA THAKUR
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=835217, st=JHARKHAND,
serialNumber=0d4b6c6bb1f88491027a4c64e9605c5e93ebbae15
a4a6839d2aa85f8e9395d45, cn=RAM KRISHNA THAKUR
Date: 2018.01.23 19:47:23 +05'30'

(राम कृष्ण ठाकुर)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।